

न्यायालयतहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर राजस्थान

मुकदमा नम्बर -234/2018

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये

पटवारी हल्का रुवाली

विप्रार्थी हुसैन

~~किसी~~

पुत्र श्री डीन मोहम्मद

जाति कुसु निवासी जिसकी कीलपट्ट

मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 09/4/18

संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है कि हल्का पटवारी रुवाली ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया है कि विप्रार्थी ने इस वर्ष संवत् 2074 में ग्राम जिसकी के खसरा नम्बर 92 रकबा 00-01 बीघा किस्म गुड पर अनाधिकृत कब्जा कर किसी में अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पेशी तिथि कर विप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित।

पेशी तारिख पर न्यायालय के बाहर तीन बार आवाज लगवाने तथा नोटिस तामिल होने के उपरान्त अनुपस्थित रहने पर तथा अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का सबूत पेश नहीं करने पर विप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय पारित किया जाता है।

चूँकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है। जिस पर विप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना साबित होता है। ऐसी अवस्था में विप्रार्थी को राजस्थान भू - अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमण घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी भूमि से बेदखली के आदेश किये हैं। विप्रार्थी के इस कृत्य के लिए उनके विरुद्ध वार्षिक भू - राजस्व लगान रुवाली का 50 गुणा अर्थात् 50/- (अक्षरे रूपये पचास रूपये) का जुर्माना आरोपित कर दण्डित किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसूल किया जावे।

हल्का पटवारी विप्रार्थी को उक्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखल कर जुर्माना राशि की वसूली कर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त करे। तथा कब्जा प्राप्ति की रिपोर्ट पेश करें। सम्बन्धित भू - अभिलेख निरीक्षक उक्त भूमि में यदि फसल। सामग्री उपलब्ध होने की स्थिति में उसे कुर्क कर निलामी की कार्यवाही करते हुए फर्द निलामी व निलामी राशि जमा करावें। निर्णय की कियान्विति में मांग कायमी तराले तहसील हाजा के रजिस्टर में दर्ज करवाही जाकर न्यायालय के निर्णय की पालना सुनिश्चित करें। निर्णय आज दिनांक 09/4/18 को खुले न्यायालय में पारित।



प्रवावली फौजदारी नम्बर होकर नम्बर से कम हो, निर्णित प्रवावली दफ्तर दाखिल से।

हुसैन
तहसीलदार सिणधरी